

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-122/2017

- 1. कालूराम } पुत्र श्योचन्द जाति गुसाई निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला
- 2. हंसराज } हनुमानगढ।

- वादी

- 1. श्योचन्द पुत्र कानगिर जाति गुसाई साकिन मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 2. झुमादेवी पत्नी कृष्ण कुमार पुत्री श्योचन्द जाति गुसाई साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 3. गीता पत्नी रामुसिंह पुत्री श्योचन्द जाति गुसाई साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4. शाखा प्रबन्धक एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महेशकुमार गौड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हरविन्द्र सिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी स0 1 के नाम से चक 1 डीबीएल खाता स0 48/40 में वादीगण को 2.530 है0 भूमि के ब0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और खाता हाजा से प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा कम किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। बैंक का ऋण होने पर बैंक रहन की एनओसी प्राप्त होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक9.6.17..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मे आज दिनांक.....9.6.17.....को जारी किया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

